



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सन्ल

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, १८ मार्च, २००२

फाल्गुन २७, १९२३ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

संख्या क०नि०-५-१३८३/११-२००२-३१२(१३)-९७

लखनऊ, १८ मार्च, २००२

अधिसूचना

प०आ० ४०

साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ (अधिनियम सं० १० सन् १८९७) की धारा २१ के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (अधिनियम सं० १६ सन् १९०८) की धारा ५ और धारा ७ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल जिला श्रावस्ती में उपजिला पयागपुर और उपनिबंधक कार्यालय, पयागपुर को उत्सादित करते हैं। और इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से,

(क) राजस्व उपजिला पयागपुर के क्षेत्र को अपवर्जित करके जिला श्रीवस्ती की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

(ख) राजस्व उपजिला पयागपुर के क्षेत्र को सम्मिलित करके जिला बहराइच और उपजिला बहराइच की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

आज्ञा से
टी०जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव।